रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102024-258221 CG-DL-E-24102024-258221

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4278]

No. 4278]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2024/कार्तिक 2, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2024/KARTIKA 2, 1946

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4654(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मयूरेश्र्वर सुपे वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2938 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2020 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

6931 GI/2024 (1)

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2938 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2020 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2938 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2020 को प्रकाशित अधिसुचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

**"5. मॉनीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार एक मॉनीटरी समिती का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थातु: -

i.	जिला कलेक्टर, पुणे	अध्यक्ष, पदेन;
ii.	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
iii.	राज्य के किसी विश्वविद्यालय या संस्था से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
iv.	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
٧.	क्षेत्र के ज्येष्ठ नगर नियोजक	सदस्य, पदेन;
vi.	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य, पदेन;
vii.	उप वन संरक्षक, पुणे वन प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।

- 6. मॉनीटरी समिति के कार्य:- (1) मॉनीटरी समिति, वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती है और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनुमित के लिए यथास्थिति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य समाघात निर्धारण प्राधिकरण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किए गये हैं।
- (2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और, उसके पैरा 4 की सारणी में प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, की संवीक्षा मॉनीटरी सिमित द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (3) मॉनीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
- (4) मॉनीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए सम्बद्ध विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।
- (5) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।
- (6) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मॉनीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/42ए/2015-ईएसजेड-आरई] डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी"

टिप्पण.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में को अधिसूचना संख्या का.आ. 2938(अ) तारीख 28 अगस्त, 2020 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2024

**S.O. 4654(E).**—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Mayureshwar Supe Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2938(E), dated the 28<sup>th</sup> August, 2020;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification:

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2938(E), dated the 28<sup>th</sup> August, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2938(E), dated the 28<sup>th</sup> August, 2020:-

In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

- "5. **Monitoring Committee**. The Central Government hereby Monitoring Committee, consisting of the following persons, namely: -
- (i) District Collector, Pune

(ii)	One representative of non-governmental organisation working in the field of	Member
	Environment (including heritage conservation) to be nominated by the State	
	Government of Maharashtra from time to time every three years.	
(iii)	One expert in the area of ecology and environment from a university or	Member
	Institution of the State to be nominated by the Government of Maharashtra	
	from time to time every three years.	
(iv)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Ex-officio, Member
(v)	Senior Town Planner of the area	Ex-officio, Member
(vi)	Member of the State Biodiversity Board	Ex-officio, Member
(vii)	Deputy Conservator of Forests, Pune Forest Division	Ex-officio, Member
		Secretary

- 6. Functions of the Monitoring Committee. (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
  - (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
  - (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-V**.
  - (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.",

[F. No. 25/42A/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

**Note.-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2938 (E), dated the 28<sup>th</sup> August, 2020.